निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1933 (श0)

(सं0 पटना 248) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जून 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 मई 2011

सं० 22 / नि0सि0(भाग0)–09–08 / 2008–616––श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, आई0 डी0–1676, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर से उनके उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में बिना उच्चाधिकारियों विभाग को सूचना दिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला योजना से रूपया दो करोड़ से अधिक निधि प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन करने, जो अनुशासनहीनता का घोतक है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर के द्वारा ''नरेगा'' के तहत 32 (बतीस) अद्द योजनाओं के लिये वर्ष 2006–07 में प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्व उपलब्ध कराये गये आवंटन से ही वर्ष 2007–08 में योजनाओं के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त 37 (सैतीस) अद्द योजनाओं में से आठ अद्द योजनाओं का कार्य कराने जबकि इसके लिये कोई आवंटन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा निधि अंतरण के लिये कार्यपालक अभियन्ता सक्षम पदाधिकारी नहीं है, की वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने के कारण विभागीय उड़नदस्ता के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत विभागीय पत्रांक 871, दिनांक 21 अगस्त 2008 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

(2) संदर्भित मामले में श्री मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः विभागीय पत्रांक 1024 दिनांक 22 दिसम्बर 2008, पत्रांक 44 दिनांक 28 जनवरी 2009, पत्रांक 290 दिनांक 13 अप्रील 2009, पत्रांक 444 दिनांक 25 मई 2009, पत्रांक 25 दिनांक 7 जनवरी 2010 एवं पत्रांक 594 दिनांक 7 अप्रील 2010 द्वारा स्मार पत्र दिये जाने के बावजूद भी उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक 1437 दिनांक 23 सितम्बर 2010 श्री मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति उप निदेशक गुण नियंत्रण प्रमण्डल, डिहरी को तामिला कराने हेतु फैक्स द्वारा मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, डिहरी को प्रेषित करते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

(3) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी से तामिला प्रतिवेदन उनके पत्रांक 3620, दिनांक 29 सितम्बर 2010 द्वारा प्राप्त होने तथा निर्धारित समयावधि बीत जाने के उपरान्त भी श्री मिश्र, कार्यपालक अभियन्ता से वांछित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा विभाग में सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पत्र तामिला होने के बावजद श्री मिश्र, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत वांछित स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है जो कार्यपालक अभियन्ता जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन रहने वाले पदाधिकारी की

स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं सरकारी आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है। अतएव उपलब्ध अभिलेख के आधार पर श्री मिश्र, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व निम्नांकित दण्ड प्रस्ताव पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

(i) निन्दन वर्ष 2006–07 एवं 2007–08

(ii) एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(4) सरकार के स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 225, दिनांक 1 मार्च 2011 द्वारा विभागीय उड़नदस्ता के जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रस्तावित दण्ड पर श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियन्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

(5) निर्धारित पन्द्रह दिनों की समयावधि बीत जाने के बावजूद श्री मिश्र, कार्यपालक अभियन्ता से वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक 389, दिनांक 1 अप्रील 2011 श्री मिश्र, कार्यपालक अभियन्ता (उप निदेशक) को तामिला कराने हेतु फैक्स द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी को प्रेषित करते हुए तामिला प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

(6) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 1151, दिनांक 5 अप्रील 2011 द्वारा विभागीय पत्रांक 38,9 दिनांक 1 अप्रील 2011 का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा निर्धारित समयावधि बीत जाने के बावजूद श्री मिश्र से वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पत्र तामिला होने के बावजूद भी पूर्व की भॉति श्री मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा वांछित स्पष्टीकरण विभाग में उपलब्ध नहीं कराया गया है जो कार्यपालक अभियन्ता जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन रहने वाले पदाधिकारी की स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं सरकारी आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है। अतएव उपलब्ध अभिलेख के आधार पर श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निम्ननांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है:–

(i) निन्दन वर्ष 2006–07 एवं 2007–08

(ii) एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 248-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in